राज्य योजना 2016–17 की प्रगति की समीक्षा

9 जून, 2016

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना

- वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य का स्वीकृत उद्व्यय–` 71501.84 करोड़
- अतिरिक्त उद्व्यय के साथ कुल उद्व्यय– ` 71534.61 करोड
- दिनांक 08.06.2016 तक व्यय– ` 3214.37 करोड़
- व्यय का प्रतिशत
  - मूल उद्व्यय का– 4.50 प्रतिशत
  - अतिरिक्त उद्व्यय के साथ कुल उद्व्यय– 4.49 प्रतिशत

- गत् वर्ष 2015–16 का उद्व्यय– ` 57137.62 करोड़
- गत् वर्ष 2015–16 में इस अवधि तक का व्यय– ` 1630.04 करोड़ (2.85 प्रतिशत)

निम्नांकित 8 विभागों का व्यय 4.49 (राज्य औसत) प्रतिशत से अधिक :–

¼:0 yk[k e½

क्र0	विभाग का नाम	स्वीकृत कुल उद्व्यय	वर्तमान माह (%)	गत माह (%)
1	सूचना प्रावैधिकी	28657.89	48.13	0.00
2	जल संसाधन विभाग	141543.13	27.44	1.51
3	ऊर्जा विभाग	965860.00	15.17	13.15
4	पथ निर्माण विभाग	565141.00	13.72	0.00
5	ग्रामीण कार्य विभाग	595431.00	7.65	0.21
6	आपदा प्रबंधन विभाग	5039.00	7.14	3.91
7	पर्यटन विभाग	4101.21	6.85	2.95
8	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	133567.00	5.66	0.01

निम्नांकित 12 विभागों का व्यय शून्य है :–

¼:0 yk[k e½

क्र0	विभाग का नाम	स्वीकृत उद्व्यय
1	शिक्षा विभाग	1095014.02
2	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	212163.36
3	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग	158549.66
4	अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग	157598.84
5	उद्योग विभाग	71587.80
6	सहकारिता विभाग	49670.19
7	विधि विभाग	16667.00
8	गन्ना उद्योग विभाग	10184.27
9	सामान्य प्रशासन विभाग	6852.52
10	परिवहन विभाग	1487.17
11	वणिज्य कर विभाग	603.77
12	निबंधन एवं उत्पाद विभाग	461.79

निम्नांकित 12 विभागों का स्वीकृति 15 प्रतिशत से कम है :–

¼:0 yk[k e½

क्र0	विभाग का नाम	स्वीकृत उद्व्यय	कुल स्वीकृत	स्वीकृति का प्रतिशत
1	ग्रामीण विकास विभाग	542013.18	68540.30	12.65
2	अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग	157598.84	18858.00	11.97
3	स्वास्थ्य विभाग	535692.00	54699.80	10.21
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	22771.14	220.00	0.97
5	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग	158549.66	499.06	0.31
6	समाज कल्याण विभाग	497193.00	906.50	0.18
7	उधोग विभाग	71587.80	0.00	0.00
8	परिवहन विभाग	1487.17	0.00	0.00

वर्ष 2016–17 में केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत भारत सरकार से विमुक्त राशि

- मूल उद्व्यय/बजट उपबंध– `28777.82 करोड़
- 31, मई, 2016 तक भारत सरकार से विमुक्त राशि– `2347.87 करोड़
- विमुक्त राशि का प्रतिशत– 8.16 प्रतिशत
- 31 मई, 2016 तक कुल व्यय– `156.86 करोड़
- विमुक्त राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत– 6.68 प्रतिशत

वर्ष 2016–17 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत 16 योजनाओं के विरूद्ध केन्द्र सरकार से राशि विमुक्त है :–

क0	विभाग का नाम	योजना का नाम	उद्व्यय/ बजट	विमुक्त राशि (रू0 करोड़ में)
1	2	3	4	5
1	शिक्षा विभाग	सर्व शिक्षा अभियान	4466.03	593.73
2	ग्रामीण कार्य विभाग	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	3000.00	574.80
3	ग्रामीण विकास विभाग	इंदिरा आवास योजना	1413.33	329.45
4	शिक्षा विभाग	एम0डी0एम0	1005.00	273.43
5	समाज कल्याण	आई0सी0डी0एस0	1810.81	184.45
6	ग्रामीण विकास	एन0आर0एल0एम0	519.89	77.50
7	नगर विकास एवं आवास विभाग	सरदार पटेल शहरी आवास योजना	157.21	72.77
8	नगर विकास एवं आवास विभाग	स्वच्छ भारत अभियान	80.00	66.81
9	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	72.72	53.97

वर्ष 2016–17 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत 16 योजनाओं के विरूद्ध केन्द्र सरकार से राशि विमुक्त है :–

क0	विभाग का नाम	योजना का नाम	उद्व्यय/बजट	विमुक्त राशि (रू0 करोड़ में)
1	2	3	4	5
10	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	350.00	45.93
11	कृषि विभाग	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	60.00	21.60
12	स्वास्थ्य विभाग	राष्ट्रीय आयुष मिशन	24.45	17.53
13	कृषि विभाग	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	30.00	11.96
14	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग	प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति	10.29	8.50
15	अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग	अनु0 जाति के विकास के लिए योजना	119.35	8.31
16	शिक्षा विभाग	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	80.00	7.12
	कुल		**13199.08**	**2347.87**

महत्वपूर्ण मुद्देः–

➢ <u>बिहार विधाान सभा की विशेष समिति</u>

•केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को मिलने वाले विशेष पैकेज का राज्य द्वारा क्रियान्वयन के अनुश्रवण हेतु माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा की अध्यक्षता में गठित विशेष समिति के लिए पैकेज में सम्मिलित 12 विभागों में से पर्यटन विभाग एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग से प्रतिवेदन अप्राप्त ।

•दिनांक 08.06.2016 को सम्पन्न विशेष समिति की प्रथम बैठक में पैकेजवार समीक्षा का निदेश ।

•पैकेजवार समीक्षा में राज्य के संबंधित विभाग/केन्द्र सरकार से संबंधित मंत्रालयों के संबंधित पदाधिकारियों को पैकेजवार /योजनावार अद्यतन प्रतिवेदन/स्थिति के साथ भाग लेने का समिति का निदेश ।

•संबंधित विभागों से योजनावार अघतन प्रतिवेदन/स्थिति अपेक्षित ।

➢ <u>सत्त विकास लक्ष्य (SDG)</u>

•दिनांक 13.05.2016 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न सत्त विकास लक्ष्यों (SDG) से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ड्राफ्ट मैपिंग संबंधी प्रतिवेदन सभी संबंधित विभागों से अप्राप्त । प्रतिवेदन सभी संबंधित विभागों से अपेक्षित।

दिनांक 12.05.2016 को संपन्न राज्य योजना की समीक्षात्मक बैठक में विभागवार प्राप्त निदेश जिनपर संबंधित विभागों से कार्रवाई/अनुपालन अपेक्षित हैः–

प्राप्त निदेश	की गयी कार्रवाई
प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में उनके विभाग द्वारा चालान के माध्यम से पी0एल0 खाता से राशि निकालकर कोषागार में जमा की राशि के समतुल्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त उद्व्यय/बजट देने का अनुरोध। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा उनसे तत्काल उपलब्ध उद्व्यय/बजट से ही व्यय करने का निदेश।	पथ निर्माण विभाग से कार्रवाई अपेक्षित।
प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बताया गया कि वर्तमान की भीषण गर्मी एवं पेयजल की समस्या को देखते हुए तत्काल समस्याग्रस्त जगहों पर चापाकल लगाने का कार्य प्रारम्भ। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सभी चापाकल का डाटाबेस तैयार करने का निदेश।	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से कार्रवाई अपेक्षित।

दिनांक 12.05.2016 को संपन्न राज्य योजना की समीक्षात्मक बैठक में विभागवार प्राप्त निदेश जिनपर संबंधित विभागों से कार्रवाई/अनुपालन अपेक्षित है:–

प्राप्त निदेश	की गयी कार्रवाई
सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि कुछ स्वीकृत एवं निर्माणाधीन पथों का कार्यान्वयन माननीय उच्च न्यायालय/संबंधित ट्रिब्युनल में दायर मुकदमें प्रथम तिथि को ही सरकार का पक्ष सुने बिना एकतरफा स्थगनादेश आदि पारित हो जाता है। ऐसी स्थिति में पथ निर्माण की कई योजनाएँ बाधित हो जाती है। इस तरह की समस्याएँ अन्य विभागों द्वारा भी बतायी गयी। मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागों को दो–दो अच्छे एडवोकेट का पैनल तैयार करने का निदेश।	सभी संबंधित विभाग से कार्रवाई अपेक्षित।
प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि अन्य विभागों की कार्यान्वित योजनाओं के सुगमतापूर्वक अनुश्रवण हेतु पी0एम0आई0एस0 पोर्टल आंशिक रूप से कार्यान्वित। इसे पूर्णरूपेण कार्यान्वित करने का प्रयास।	भवन निर्माण विभाग से कार्रवाई अपेक्षित।

दिनांक 12.05.2016 को संपन्न राज्य योजना की समीक्षात्मक बैठक में विभागवार प्राप्त निदेश जिनपर संबंधित विभागों से कार्रवाई/अनुपालन अपेक्षित है:–

प्राप्त निदेश	की गयी कार्रवाई
मुख्य सचिव, बिहार द्वारा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित योजना इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना में निर्माणाधीन भवन को तीन महीना के अंदर पूर्ण करने हेतु प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग को निदेश।	भवन निर्माण विभाग से कार्रवाई अपेक्षित।
शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री साईकिल योजना आदि योजनाएँ कार्यान्वित है। 7 निश्चय के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू किया जा रहा है। मुख्य सचिव द्वारा शिक्षा विभाग को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशीप योजना को बन्द करने हेतु नीतिगत निर्णय लिये जाने का सुझाव। इस राशि का उपयोग शिक्षकों के वेतन पर किया जा सकता है। इस संबंध में भी नीतिगत निर्णय किये जाने का सुझाव।	शिक्षा विभाग से कार्रवाई अपेक्षित।
सचिव, ऊर्जा विभाग द्वारा बताया गया कि स्पेशल प्लान (बी0आर0जी0एफ0) अंतर्गत भारत सरकार से वर्तमान वित्तीय वर्ष में अधिकतम `1500.00 करोड़ ही मिलने की संभावना। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य योजना मद से व्यय करने का अनुरोध। मुख्य सचिव द्वारा ऊर्जा विभाग को कार्यरत परियोजना की प्राथमिकता सूची तथा निधि की आवश्यकता तैयार कर उपलब्ध कराने का सुझाव।	ऊर्जा विभाग/पथ निर्माण विभाग से कार्रवाई अपेक्षित।

दिनांक 12.05.2016 को संपन्न राज्य योजना की समीक्षात्मक बैठक में विभागवार प्राप्त निदेश जिनपर संबंधित विभागों से कार्रवाई/अनुपालन अपेक्षित हैः–

प्राप्त निदेश	की गयी कार्रवाई
विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव/सचिवों द्वारा अवगत कराया गया कि जनशिकायत निवारण एक्ट के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विभागों में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिवों/विशेष कार्य पदाधिकारियों को विभिन्न जिलों/अनुमंडलों में जनशिकायत निवारण पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन के कारण सभी विभागों में पदाधिकारियों की कमी हो गई है। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विभाग में पदस्थापित बिहार सचिवालय सेवा के अवर सचिव/उप सचिव से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का कार्य लेने का निदेश। साथ ही विभागीय संवर्ग को और सशक्त बनाते हुए संवर्गीय पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पादित करने का दायित्व सौंपने का निदेश।	सभी संबंधित विभागों से कार्रवाई अपेक्षित।

धन्यवाद